भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4112
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- रबी फसल की खेती के विस्तार हेतु तकनीक का प्रयोग
4112. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार की वर्ष 2024-25 में रबी फसल की खेती के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली नीतियों, प्रोत्साहनों और तकनीकी हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;
(ख) रबी फसल की पैदावार बढ़ाने और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने में बेहतर सिंचाई अवसंरचना, बेहतर बीज किस्मों और जलवायु-लचीली कृषि तकनीकों का क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) रबी फसल उगाने वाले किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण, फसल बीमा और बाजार संपर्क तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि उनकी लाभप्रदता और वित्तीय सुरक्षा बढ़े; और
(घ) रबी फसल उत्पादन में स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भंडारण, परिवहन और खरीद तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारत सरकार 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों नामतः जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) को लागू कर रही है, ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और प्रोटेक्शन टेक्नॉलजी, फसलन प्रणाली-आधारित डेमो, नई जारी किस्मों/हाइब्रिड किस्मों के सर्टिफाइड बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, बेहतर कृषि उपकरणों/औजारों/संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण पर प्रोत्साहन प्रदान कर क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वर्ष 2024-25 में रबी खाद्यान्न के तहत क्षेत्र 14.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कुल 565.46 लाख हेक्टेयर हो गया है जबकि वर्ष 2023-24 में यह 551.11 लाख हेक्टेयर था।

(ग): सरकार, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शॉर्ट टर्म कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करने के लिए पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में "संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.)" लागू कर रही है। भारत सरकार ने फसल बीमा योजना की पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए कई उपायों को भी लागू किया है जिसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.), डेटा प्रबंधन, सब्सिडी भुगतान, समन्वय और ऑनलाइन किसान नामांकन के लिए एक केंद्रीकृत मंच शामिल है। दावा के भुगतान की प्रक्रिया की निगरानी के लिए डिजीक्लेम मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया है। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर 14447), किसानों को दावों से संबंधित मुद्दों को उठाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके निपटान की सुविधा प्रदान करता है। अन्य तकनीकी हस्तक्षेप जैसे यस-टेक, वेदर इन्फर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स), ऐप फॉर इंटरमीडियरी इनरोलमेंट (ए.आई.डी.ई. ऐप) आदि को भी लागू किया गया है।

(घ): सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को मंजूरी दी है। इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.) के स्तर पर विभिन्न एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं। रेलवे और भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के बीच समन्वय से सरप्लस से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की आवाजाही बेहतर होती है और भंडारण क्षमता, खरीद और आवंटन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार सभी छह अनिवार्य रबी फसलों की खरीद की व्यवस्था करती है। गेहूं और जौ के लिए, एफ.सी.आई. और राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करती हैं। जब बाजार की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाती हैं तब दलहन (चना, मसूर) और तिलहन (रेपसीड/सरसों, कुसुम) की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के तहत की जाती है।

*****